

**राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर**

**शुद्धि पत्र संख्या – 05/2015–16**

**दिनांक : 15–05–2015**

आयोग के संयुक्त विज्ञापन संख्या 1/भर्ती/2014–15 दिनांक 15.07.2014 के शुद्धि पत्र संख्या 7/2014–15 दिनांक 31.07.2014 के बिन्दु संख्या 1 में अंकित अभिव्यक्ति “वरिष्ठ प्रदर्शक—बायोकेमिस्ट्री के पदों में Medical Persons/Non Medical Persons के पद भी आरक्षित हैं जोकि नियमानुसार भरे जा सकेंगे।” को प्रतिस्थापित की जाकर निम्नानुसार अभिव्यक्ति पढ़ी जावे :—

“सहायक आचार्य—बायोकेमिस्ट्री एवं वरिष्ठ प्रदर्शक—बायोकेमिस्ट्री के विषय में नियमानुसार मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का अनुपात 50–50 प्रतिशत है। अतः उक्त पदों पर पहले न्यूनतम् 50 प्रतिशत मेडिको पर्सन्स के चयनोपरान्त शेष पदों पर मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का चयन मेरिट के आधार पर किया जा सकता है।”

**(नरेश कुमार ठकराल)**  
**सचिव**

---